अनुदान संख्या 64 – विधि और न्याय
GRANT No. 64 - LAW AND JUSTICE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	2150,00,00	2160,00,00	1431,51,86	-728,48,14
पूरक	Supplementary	10,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				680,05,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	200,00,00	286,00,00	286,00,00	..
पूरक	Supplementary	86,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹72848.14 लाख) फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹1000.00 लाख की पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 34 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹72848.14 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹1000.00 lakhs obtained in February, 2021 and constituted 34 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय–सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services				
मू.	O.	14743.00	13106.00	11559.82	-1546.18
पु.	R.	-1637.00			
मुख्य शीर्ष "2014" न्याय प्रशासन	Major Head "2014" Administration of Justice				
मू.	O.	44287.00	38918.36	38079.98	-838.38
पु.	R.	-5368.64			
मुख्य शीर्ष "2015" चुनाव	Major Head "2015" Elections				
मू.	O.	48700.00	7345.00	7114.57	-230.43
पु.	R.	-41355.00			
मुख्य शीर्ष "2020" आय और व्यय पर करों का संग्रहण	Major Head "2020" Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	12290.00	11270.00	9581.20	-1688.80
पु.	R.	-1020.00			
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	10500.00	500.00	..	-500.00
पु.	R.	-10000.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	78000.00			
पू.	S.	1000.00	70700.00	70681.25	-18.75
पु.	R.	-8300.00			

(I) ₹11738.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹11400.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(I) Provision of ₹11738.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads; of these ₹11400.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2020" – "निदेशन और प्रशासन – भारत की मध्यस्थता परिषद" – ₹900.00 लाख कार्यालय कामकाज की शुरुआत न होने के कारण।

(A) Major Head "2020" - "Direction and Administration - Arbitration Council of India" - ₹900.00 lakhs - due to non-start of functioning of the office.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" – "न्याय प्रशासन" –

(B) Major Head "2552" - "Administration of Justice" -

(क) "न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु अनुदान" – ₹8000.00 लाख; और

(ख) "ई–न्यायालय परियोजना चरण–II" – ₹2500.00 लाख।

(a) "Grants for Infrastructural facilities for Judiciary" - ₹8000.00 lakhs; and

(b) "E-Court Project Phase-II" - ₹2500.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय–बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat" - savings occurred under the following heads:-

(का) "विधि कार्य विभाग" – ₹1131.10 लाख की बचत (₹6387.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(A) "Department of Legal Affairs" - saving of ₹1131.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6387.00 lakhs); and

(खा) "न्याय विभाग" – ₹950.16 लाख की बचत (₹2198.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Department of Justice" - saving of ₹950.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2198.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, कोविड–19 महामारी की वजह से मरम्मत/रखरखाव से संबंधित कम कार्यकलापों के होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, less repairs/maintenance activities owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष "2014" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(III) Under Major Head "2014" - savings occurred under the following heads:-

(का) "विधि सलाहकार और परामर्शदाता – विधि कार्य विभाग" – ₹892.56 लाख की बचत (₹6614.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 लॉकडाउन की वजह से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कामकाज न होने/आंशिक कामकाज होने और सरकारी वकीलों से कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(A) "Legal Advisers and Counsels - Department of Legal Affairs" - saving of ₹892.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6614.00 lakhs) was due to non-functioning/partial functioning of Supreme Courts and High Courts owing to COVID-19 lockdown and receipt of less claims from Government advocates.

(खा) "ई–कोर्ट – ई–कोर्ट चरण–II" – ₹4568.73 लाख की बचत (₹22500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(B) "E-Courts - E-Courts Phase-II" - saving of ₹4568.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(IV) मुख्य शीर्ष "2015" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(IV) Under Major Head "2015" - savings occurred under the following heads:-

(का) "निर्वाचन अधिकारी – राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति" – ₹7600.00 लाख की बचत (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(A) "Electoral Officers - Reimbursement to State/Union Territory Governments" - saving of ₹7600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs);

(खा) "मतदाता सूची तैयार करना तथा उनका मुद्रण – राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति" – ₹6400.00

(B) "Preparation and Printing of Electoral Rolls-Reimbursement to State/Union Territory

लाख की बचत (₹8500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(गा) "लोकसभा और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाने के लिए प्रभार–राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रतिपूर्ति" – ₹18613.00 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत लोक सभा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान सभाओं का निर्वाचन के आयोजन में बदलाव से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से कम दावों की प्राप्ति होने और लॉकडाउन की वजह से लेखा–परीक्षा प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति न होने के कारण हुईं।

(घा) "मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना – राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति" – ₹4200.00 लाख की बचत (₹5400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और लेखा परीक्षा परीक्षा प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ङ) "अन्य व्यय – इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर व्यय" – ₹4500.01 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय के संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और भारतीय चुनाव आयोग से कम मांग होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2020" – "निदेशन और प्रशासन – आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण" – ₹1808.80 लाख की बचत (₹11390.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, किराया, दरों एवं करों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Governments" - saving of ₹6400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8500.00 lakhs); and

(C) "Charges for conduct of Elections for Lok Sabha and State/Union Territory Legislative Assemblies when held simultaneously - Reimbursement to State/Union Territory Governments" - saving of ₹18613.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less claims from the State/Union Territory Governments towards changes for conduct of elections of Lok Sabha and State/Union Territory legislative Assemblies and non-receipt of audit certificates owing to lockdown.

(D) "Issue of Photo Identity Cards to Voters - Reimbursement to State Governments" - saving of ₹4200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5400.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and non-receipt of audit certificates.

(E) "Other Expenditure - Expenditure on Electronic Voting Machine" - saving of ₹4500.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and less demand from Election Commission of India.

(V) Under Major Head "2020" - "Direction and Administration - Income Tax Appellate Tribunal" - saving of "1808.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11390.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, requirement of less funds towards rent, rates & taxes and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VI) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाएं” – ₹8300.00 लाख की बचत (₹63000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(VII) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1044.31 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत से 49 प्रतिशत थीं।

(VI) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Infrastructure facilities for Judiciary” - saving of ₹8300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹63000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VII) Under three heads savings of ₹1044.31 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 15 percent to 49 percent of the sanctioned provision.